an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment made a statement correcting reply to unstarred question no. 3616 dated 11.08.2015 regarding contractual preference to SC alongwith reasons for delay and amendment in GFR 142 and 144.

*m01

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

'अनुसूचित जातियों को ठेके में प्राथमिकता' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के संबंध में 11 अगस्त, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

-

मंत्रालय को दिनांक 08.12.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 1429 के उत्तर में हुए एक गलती के बारे में डा. उदित राज, संसद सदस्य (लोक सभा) से दिनांक 17.02.2016 को अ.शा. पत्र प्राप्त हुआ। मामले की विस्तृत जांच की गई थी और यह पाया गया था कि दिनांक 11.08.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न सं. 3616 के उत्तर में त्रुटि हुई है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की अधिसूचित सार्वजनिक प्रापण नीति से संदर्भ आंकड़ें लेते समय हुई थी।

जैसे ही इस गलती का पता चला, मंत्रालय द्वारा सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

संशोधित उत्तर

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3616

उत्तर देने की तारीखः 11.08.2015

अनुसूचित जातियों को ठेके में प्राथमिकता

3616. डॉ. उदित राज

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या मंत्रालय का सभी प्रकार के सरकारी आपूर्ति/ठेके/निविदाओं इत्यादि में अनुसूचित जातियों के ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने हेतु 142 और 144 जीएफआर में संशोधन करने हेतु वित्त मंत्रालय से आग्रह करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय सांपला)

(क) और (ख) ः मंत्रालय का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए अनुरोध करने का नहीं है तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की नई सार्वजनिक प्रापण नीति, जिसे 23.03.2012 को अधिसूचित किया गया था, में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **""सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वार्षिक प्रापण के 20।ः लक्ष्य में से, 20।ः का उप-लक्ष्य (अर्थात् 20।ः का 4।ः) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से प्रापण के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा।""**

12.07 Â¾ hours

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1429 DATED 8.12.2015 REGARDING AMENDMENT IN GFR 142 AND 144 ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

'जीएफआर 142 और 144 में संशोधन' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1429 के संबंध में 8 दिसंबर, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मंत्रालय को दिनांक 08.12.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 1429 के उत्तर में हुए एक गलती के बारे में डा. उदित राज, संसद सदस्य (लोक सभा) से दिनांक 17.02.2016 को अ.शा. पत्र प्राप्त हुआ। मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था क प्रश्न के उत्तर में एक गलती हुई थी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की अधिसूचित सार्वजनिक प्रापण नीति से संदर्भ आंकड़ें लेते समय हुई थी। जैसे ही इस गलती का पता चला, मंत्रालय द्वारा सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

संशोधित उत्तर

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1429

उत्तर देने की तारीखः 08.12.2015

जीएफआर 142 और 144 में संशोधन

1429. डॉ. उदित राज

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्रस्ताव न मिलने के कारण सरकारी अनुबंधकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं/निविदाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए वित्त मंत्रालय जीएफआर 142 और 144 को संशोधित नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव में मंत्रालय द्वारा सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारी अनुबंधों/आपूर्तिकर्ताओं/निविदाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस मुद्दे से संबंधित जनवरी 2015 तक प्राप्त वीआईपी सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय सांपला)

(क) से (ग) ः मंत्रालय का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए अनुरोध करने का नहीं है तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की नई सार्वजनिक प्रापण नीति, जिसे 23.03.2012 को अधिसूचित किया गया था, में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **""सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वार्षिक प्रापण के 20।ः लक्ष्य में से, 20।ः का उप-लक्ष्य (अर्थात् 20।ः का 4।ः) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से प्रापण के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा।""**

(घ) ः मध्य प्रदेश सरकार, वर्ष 2002 से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों से सरकारी खरीद के कम से कम 30।ः भाग की खरीद करने की नीति को क्रियान्वित कर रही है।

(ङ.) ः जनवरी, 2015 में विशिष्ट व्यक्ति का एक संदर्भ प्राप्त हुआ था और संबंधित सदस्य को अप्रैल, 2015 में सूचना भेज दी गई थी।

12.08 hours

ELECTION TO COMMITTEE